ISSN: 2394-3122 (Online)
ISSN: 2394-6253 (Print)
Impact Factor: 6.03

Volume 10, Issue 11 November 2023

SK International Journal of Multidisciplinary Research Hub

Journal for all Subjects

e-ISJN: A4372-3088

p-ISJN: A4372-3089

Research Article / Survey Paper / Case Study

Published By: SK Publisher (www.skpublisher.com)

A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access Multidisciplinary & Multilingual International Journal - Included in the International Serial Directories

उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए किये गये उपायों का अध्ययन

रेणु[1]

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग,
एफएस, विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद,
फ़िरोज़ाबाद, भारत

डॉ. देवी लाल[2]

शोध पर्यवेक्षक, समाजशास्त्र विभाग,
एफएस, विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद,
फ़िरोज़ाबाद, भारत

DOI: https://doi.org/10.61165/sk.publisher.v10i11.4

शीर्षक

महिलाएँ एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति हैं जिन्हें नीति निर्माता नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया भर की महिला व्यवसायी महिलाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। विश्व अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए महिला व्यवसाय संघ इस क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं और इसे अधिकतम कर सकते हैं। दुनिया की आधुनिक अर्थव्यवस्था और वास्तव में लोकतंत्र, दोनों लिंगों की भागीदारी पर निर्भर करता है। लोकतंत्र, मुक्त उद्यम और अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित वैश्विक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की सामान्य कल्पना करना आदर्श होगा। चूंकि ऐसी कोई व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं रही, इसलिए यह व्यवस्था अगर भोली-भाली नहीं तो काल्पनिक तो लगती ही है। हालाँकि, सरकारें और संस्थाएँ महिलाओं के लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे रही हैं और महिलाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों की मदद से उन्हें सशक्त बना रही हैं।

गर्भ से लेकर कब्र तक महिलाओं के साथ भेदभाव जगजाहिर है। इस स्थिति का अस्तित्व देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह उनके समाज में विभिन्न अशांति को भी आमंत्रित करता है क्योंकि शेष विश्व के साथ उनके वर्तमान संबंधों को टाला नहीं जा सकता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि महिलाओं की वंचित स्थिति विकास की राह में मुख्य बाधा है। इसके प्रति बढ़ती जागरूकता देशों को सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के सभी परिप्रेक्ष्यों में महिलाओं को विकसित करने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर रही है।

महिलाओं का सशक्तिकरण तब तक हासिल नहीं होगा जब तक महिलाओं को शिक्षित करने की पहल नहीं की जाती और लोगों की भागीदारी की मदद से सरकार द्वारा समर्थित नहीं किया जाता।

© 2023, SK Publisher All Rights Reserved

SK International Journal of Multidisciplinary Research Hub
Volume 10, Issue 11, November 2023 pg. 35-51
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access Multidisciplinary & Multilingual International Journal

अध्याय 1 परिचय

सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ है" सक्षम या अधिकृत करना"। जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल होते हैं। इसे व्यावहारिक जीवन में अनुवाद करने का अर्थ है ऐसी स्थितियाँ जिनमें महिलाएँ भाग लेने में सक्षम हों और जीवन के इन सभी क्षेत्रों में संसाधनों और अवसरों तक पहुँच और नियंत्रण प्राप्त कर सकें। एक आदर्शवादी दृष्टिकोण यह है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानून बनाएं, इन कानूनों को लागू करने के लिए संस्थानों की स्थापना करें और सबसे महत्वपूर्ण, उनके बारे में जागरूकता और शिक्षा का प्रसार करें ताकि सभी के लिए उचित और न्यायसंगत स्थितियां बन सकें।

महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब अनिवार्य रूप से स्त्रीत्व और पुरुषत्व की धारणाओं को फिर से परिभाषित करना और साथ ही पुरुष-महिला संबंधों को बदलना होगा। यह ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अब अधिक से अधिक महिलाएं बात कर रही हैं। फैलाई गई अफवाहों के विपरीत, नारीवादी पुरुषों के खिलाफ नहीं हैं। वे एक व्यवस्था के रूप में पितृसत्ता के ख़िलाफ़ हैं, आक्रामक पुरुषत्व के ख़िलाफ़ हैं। वे ऐसे पुरुष चाहती हैं जो सौम्य और देखभाल करने वाले हों। महिलाओं के लिए अच्छे पुरुषों के नए मॉडल हृष्ट-पुष्ट, आक्रामक और सुपरमैन नहीं बल्कि महात्मा गांधी, जीसस क्राइस्ट, गुरन नानक, बुद्ध जैसे पुरुष हैं। वे ऐसे पति चाहती हैं जो न केवल पिता बल्कि मां की भूमिका भी निभा सकें।

ऐसी ताकत सशक्तिकरण की प्रक्रिया से आती है। कुछ सशक्तिकरण तंत्रों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है-

- साक्षरता और उच्च शिक्षा;
- अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल;
- विवाह की अधिक उम्र;
- आधुनिकीकरण क्षेत्र में कार्य में अधिक भागीदारी;
- स्व-रोज़गार के लिए आवश्यक वित्तीय एवं सेवा सहायता;
- सत्ता के उच्च पदों के लिए अवसर;
- उसके अधिकारों की पूरी जानकारी; और सबसे ऊपर
- आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और महिला होने की गरिमा।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ:

अत्यन्त सरल शब्दों में महिला सशक्तिकरण का अर्थ है-

महिलाओं को शक्तिशाली बनाना। इसका तात्पर्य यह है कि महिलाएँ समाज में शक्तिहीन है इसलिए इन्हें शक्तिशाली बनाना। भारतीय संदर्भ में महिलाओं को पुरूषों की बराबरी पर लाना। महिला सशक्तिकरण से आशय उन सामान्य अर्थों से लगाया जाता है जो अपनी क्षमताओं और शक्तियों का पूर्णरुप से उपयोग कर सके जिससे वे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति मंे आ जाए, यह स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में हो सकती हैं।

© 2023, SK Publisher All Rights Reserved ISSN: 2394-3122 (Online) Impact Factor: 6.03 ISSN: 2394-6253 (Print)

महिला सषक्तिकरण एवं विकास हेतु अन्तरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर विविध प्रयास किये गये है जो इस प्रकार हैः

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर महिला सषक्तिकरण हेतु प्रयास:

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष एवं महिलाएं:

संसार भर की महिलाओं की स्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने के उद्देष्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वर्ष 1975 को अन्तर्रा ष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था। मैक्सिको में महिला वर्ष का आरम्भ करते हुए राष्ट्र संघ के महासचिव डा॰ कुर्त वाल्दहाइम ने कहा था, 'महि लाओं के प्रति भेदभाव की नीति उतनी ही गम्भीर है, जितनी कि अनाज की कमी और बढ़ती हुई जनसंख्या की। समानता का संचार, विकास में महिलाओं की साझेदारी एवं विष्वशान्ति में महिलाओं का योगदान आदि इस घोषणा का प्रमुख उद्देष्य था।

युक्त राष्ट्र संघ की महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए अभिसमय समिति ने अपने सामान्य संतुस्ति सं ख्या ग्प्प् 1989 में षिफारिस की है। सीडा॰ संधि जेण्डर समानता की सूत्रधार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में आपनी साख बना चुकी है। इस संधि की प्रस्तवना में स्वीकार किया गया है कि "आज दुनिया में महिला कर्मचारियों के विरूद्ध व्यापक भेदभाव जारी है।"

भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास

महिला सशक्तिकरण व विकास की स्थिति पर विवेचन से पूर्व हमारे मस्तिष्क में विविध प्रकार के प्रष्न उत्पन्न होते हैं जैसे- भारत में महिला सषक्तिकरणव विकास की स्थिति के अध्ययन की क्या आवष्यकता है? भारतीय महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में प्रचलित भ्रान्त धारणाएँ क्या है? क्या धारणाएँ भ्रान्त हैं या इनकी अपनी सत्यता भी है? यदि भारतीय समाज में प्रचलित धारणाएँ गलत है, तो समाज में उनकी वास्तविक स्थिति क्या है?

भारत में महिला सशक्तिकरण: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण

एक पारंपरिक पितृसत्तात्मक समाज होने के नाते, महिलाओं को एक माध्यमिक दर्जा दिया गया है जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। हालाँकि, महिला समानता और सशक्तिकरण हमेशा एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है और हितधारकों द्वारा इसका अत्यधिक ध्यान रखा गया है। यह शोधपत्र अन्य देशों के बीच भारत की स्थिति की आलोचनात्मक रूप से जाँच करता है और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-5 को प्राप्त करने की तैयारी का पता लगाने का प्रयास करता है।

भारत में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले प्रमुख कारक कौन-से हैं?

- **सुदृढ़ सामाजिक मानदंड और पितृसत्तात्मक मानसिकता:** गहराई से जड़ जमाये सामाजिक मानदंड और **पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः महिलाओं की गतिशीलता, शिक्षा और आर्थिक अवसरों को प्रतिबंधित** करते हैं।
- देश के कई हिस्सों में पुत्रों को प्राथमिकता दी जाती है और पुत्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है।
- **उदाहरण: पुत्र को अधिक प्राथमिकता देने** (Son meta-preference) **के कारण लिंग-पक्षपाती लैंगिक चयन** को बढ़ावा मिला है, जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में लिंग अनुपात में असमानता आई है।

© 2023, SK Publisher All Rights Reserved

SK International Journal of Multidisciplinary Research Hub
Volume 10, Issue 11, November 2023 pg. 35-51
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access Multidisciplinary & Multilingual International Journal

- **सीमित शिक्षा: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण** 2019-21 के अनुसार, देश में कुल महिला साक्षरता दर 71.5% है, जो पुरुष साक्षरता दर 84.7% से पर्याप्त कम है।
- प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लिंग समानता सूचकांक 1 के आसपास है, जो **बालकों और बालिकाओं के लिये समान नामांकन** को इंगित करता है। हालाँकि उच्च शिक्षा स्तर पर इसमें गिरावट आ जाती है।

महिला सशक्तिकरण क्या है?

महिला सशक्तिकरण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपने जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण प्रदान करना और उन्हें पुरुषों के समान अवसर प्रदान करना है।

इसमें महिलाओं में आत्मक सम्मान-ी भावना को बढ़ावा देना, उनके अपने निर्णय लेने की क्षमता और अपने एवं दूसरों के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने का उनका अधिकार शामिल है।

महिला सशक्तिकरण के घटक

यूरोपीय लैंगिक समानता संस्थान के अनुसार, महिला सशक्तिकरण में व्यापक रूप से **निम्नलिखित पाँच घटक** शामिल हैं:

आत्मसम्मान-: महिलाओं में आत्महै। बनाता सशक्त उन्हें ही होना भावना की सम्मान-

विकल्प चुनने और निर्णय लेने का उनका अधिकार।

अवसर और **संसाधनों तक पहुँच**: महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा आदि आवश्यक अवसरों और संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए।

अपने जीवन पर नियंत्रण का अधिकार: महिलाओं को अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होना चाहिए, चाहे घर के अंदर हो या बाहर।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की उनकी क्षमता।

महिला सशक्तिकरण के आयाम) Dimensions)

हालाँकि महिला सशक्तिकरण महिलाओं को कई आयामों में सशक्त बनाने के विषय में है, लेकिन मोटे तौर पर इसे तीन मुख्य आयामों में विभाजित किया जा सकता है:

सामाजिकसशक्तिकरण सांस्कृतिक-: इसका अर्थ महिलाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त करने, निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की क्षमता प्रदान करना है।

आर्थिक सशक्तिकरण: इसका तात्पर्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और मजबूत बनाने के साथ एवं पूर्ण में अर्थव्यवस्था साथ-भ से रूप स्वतंत्ाग लेने में सक्षम बनाना है।

© 2023, SK Publisher All Rights Reserved

राजनीतिक सशक्तिकरण: इसमें राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने, सार्वजनिक नीति एवं निर्णय लेने को प्रभावित करने तथा सभी स्तरों पर राजनीतिक एवं शासन संरचनाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की महिलाओं की क्षमता को बढ़ाना शामिल है।

लैंगिक समानता क्या है?

संयुक्त राष्ट्र महिला)UN Women) के अनुसार, लैंगिक समानता का अर्थ महिलाओं और पुरुषों, बालक और बालिकाओं को समान अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर प्राप्त होना है।

लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि महिलाएँ और पुरुष एक ही तरह के हो जाएंगे। बल्कि, यह इस बात पर जोर देता है कि पुरुषों और महिलाओं के अधिकार, जिम्मेदारियाँ और अवसर उनके लिंग पर निर्भर नहीं होंगे, इस प्रकार यह लैंगिक असमानता को दूर करने का प्रयास करता है।

लैंगिक समानता को एक मानवाधिकार के मुद्दे और सतत जनप एक लिए के विकास केंद्रित-ूर्व शर्त और संकेतक दोनों के रूप में माना जाता है।

भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

भारत में पितृसत्तात्मक सोच और लैंगिक असमानता व्याप्त होने के कारण, महिलाओं को विरोधाभासी भूमिकाएँ निभाने के लिए मजबूर किया जाता है। एक ओर, महिलाओं की मातृत्वपूर्ण भूमिका को बेटी, माँ, पत्नी और बहू के रूप में प्रभावी ढंग से निभाने के लिए उनकी ताकत को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरी ओर, उनके पुरुष समकक्षों पर पूर्ण निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए "कमजोर और लाचार महिला" की रूढ़िवादी छवि को बढ़ावा दिया जाता है।

कुपोषण (Malnutrition): NFHS-5 के अनुसार, 15-49 वर्ष की आयु की 18.7% महिलाएँ कम वजन वाली हैं, 15-49 वर्ष की आयु की 21.2% महिलाएँ अविकसित हैं, और 15-49 वर्ष की आयु की लगभग 53% महिलाएँ रक्ताल्पता अर्थात् एनीमिया से पीड़ित हैं।

शिक्षा (Education): NFHS-5 (2019-21) के अनुसार, पुरुषों के लिए लगभग 84.7% की तुलना में महिलाओं में साक्षरता दर 70.3% है।

लिंग आधारित हिंसा (Gender-Based Violence): NCRB की "**क्राइम इन इंडिया**" 2021 रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के **4 लाख से अधिक मामले** दर्ज किये गए थे। यह आँकड़ा केवल रिपोर्ट की गई घटनाओं को दर्शाता है, वास्तविक आँकड़ा काफी अधिक है।

बाल विवाह)Child Marriage): NFHS-5 के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु की 23.3% महिलाओं का विवाह या 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी।

© 2023, SK Publisher All Rights Reserved

आर्थिक विषमता

- **रोजगार**: नवीनतम PLFS रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 में कार्यशील आयु)15 वर्ष और उससे अधिक केवल की (32.8% महिलाएँ ही श्रमबल में थीं।
- **अनौपचारिकीकरण**: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, भारत में महिलाओं का 81.8 प्रतिशत रोजगार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में केंद्रित है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि भारत में अधिकाँश महिला कर्मचारी उच्च वेतन वाले रोजगार में नहीं हैं।
- **वेतन अंतर**: भारत में लिंगों के बीच वेतन अंतर विश्व में सबसे अधिक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार, औसतन भारतीय महिलाओं को पुरुषों की आय का 21% भुगतान किया जाता था।

राजनीतिक असमानता

- **संसद में प्रतिनिधित्व**: वर्तमान में, संसद सदस्यों)MPs) की कुल संख्या का केवल 14.94% ही महिलाएँ हैं।
- **राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व**: भारत के निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2023 तक राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व का औसत केवल 13.9% है।

समग्र महत्त्व

- **राष्ट्र की प्रगति** – भारत की जनसंख्या में 50% महिलाएँ हैं। अगर देश को "**विकसित भारत @2047**" बनना है तो यह महिलाओं के योगदान के बिना संभव नहीं है।

सामाजिक-सांस्कृतिक महत्त्व) Socio-Cultural Significance)

- **शांतिपूर्ण समाज**: लैंगिक समानता और सशक्त महिलाओं वाले समाजों में लिंग आधारित हिंसा कम देखी जाती है, जिसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि शामिल हैं।
- **सामाजिक समावेश**: लैंगिक समानता महिलाओं के वास्तविक सामाजिक समावेश को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
- **सामाजिक परिवर्तन**: पुरुषों की तुलना में, महिलाएँ बेहतर चुनाव करने और अपनी आय का अधिक हिस्सा अपने परिवारों और समाजों में निवेश करने की प्रवृत्ति रखती हैं। इससे हमारे समाज में सकारात्मक परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है।
- **शिक्षा को बढ़ावा देना**: शिक्षित लड़कियों के देर से विवाह करने, स्वस्थ बच्चे पैदा करने और अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अधिक संभावना होती है। इस प्रकार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का एक गहरा संबंध है।

आर्थिक महत्त्व) Economic Significance)

- **विकास**: अध्ययनों से लैंगिक समानता और समग्र विकास एवं बढ़ती आर्थिक समृद्धि के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया है।

© 2023, SK Publisher All Rights Reserved

- **कार्यबल भागीदारी**: महिलाओं को समान रोजगार के अवसर और उचित वेतन प्रदान करना कार्यस्थल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। जिससे बदले में महिला श्रम बल भागीदारी दर)FLFPR) और कौशल आधारित दृष्टिकोणों की विविधता को बढ़ावा मिलता है।
- **नवाचार को प्रोत्साहन**: लैंगिक समानता विविध दृष्टिकोण और प्रतिभाओं को बढ़ावा प्रदान करती है, जिससे अधिक नवाचार और बेहतर समाधान मिलते हैं।

राजनीतिक महत्व) Political Significance)

- **बेहतर निर्णय लेना:** लैंगिक समानता के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में यह सुनिश्चित किया जाता है कि नीति निर्माण प्रक्रियाओं में महिलाओं के दृष्टिकोण और जरूरतों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है या नहीं। लैंगिक समानता से सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाले अधिक समावेशी और प्रभावी शासन का प्रबंधन किया जाता है।

मूल अधिकार

महिलाओं का सामाजिक-सांस्कृतिक सशक्तिकरण

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना**)BBBP): इसका लक्ष्य बाल लिंगानुपात में सुधार करना और बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।
- **माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना**)NSIGSE): माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ावा देने और 18 वर्ष की आयु तक उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **प्रधानमंत्री स्वस्थ्य सुरक्षा योजना**)PMSSY): यह योजना महिलाओं और बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में सहायता करती है।
- **वन स्टॉप सेंटर**)OSC): ये केंद्र हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं।
- **निर्भया फंड**: इस फंड की स्थापना महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से पहल का समर्थन करने के लिए की गई है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

- **स्टैंड अप इंडिया योजना**: इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को बैंक ऋण प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- **प्रधानमंत्री जन धन योजना(PMJDY)**: महिलाओं के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देती है, जिससे उनके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम**: सरकार और गैर पहल विभिन्न गई की प्रारम्भ द्वारा संगठनों सरकारी-महिलाओं को प्रभावी राजनीतिक भागीदारी के लिए कौशल और ज्ञान से युक्त करने का लक्ष्य रखती हैं।

© 2023, SK Publisher All Rights Reserved

- **महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम**: राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)NIRD&PR) जैसी सरकारी एजेंसियां महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करती हैं, जो नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी को विकसित करने पर केंद्रित हैं।

महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए चुनौतियाँ

भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करना एक जटिल चुनौती है जिसमें सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। इसके मार्ग में आने वाली कुछ प्रमुख बाधाएँ इस प्रकार हैं:

अध्याय :2 साहित्य समीक्षा

सशक्तिकरण से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, जहाँ शक्तिहीन व्यक्ति संसाधनों और विचारधाराओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। इसे स्वायत्तता, शक्ति, स्थिति और एजेंसी जैसे शब्दों से जोड़ा गया है। भारतीय संविधान ने बहुत स्पष्ट रूप से महिलाओं को समान स्तर का खेल का मैदान दिया है और अधिकारियों को अधिकार की रक्षा के लिए नियम और कानून बनाने का निर्देश दिया है। हालाँकि, 1970 के दशक के दौरान नारीवादी विद्वानों ने पितृसत्ता को चुनौती देने के एक तरीके के रूप में, 1980 के दशक में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के पक्ष में सत्ता संबंधों को बदलने से संबंधित एक कट्टरपंथी दृष्टिकोण के रूप में (बाटलीवाला, 1993, 2007) और 1990 के दशक के दौरान आत्म-परिवर्तन की एक व्यक्तिगत प्रक्रिया के रूप में (बाटलीवाला, 1993; कबीर, 1994; रोलैंड्स, 1997; सेन, 1997)। वे महिलाओं की आत्म-समझ (कबीर, 1994) और आत्म-अभिव्यक्ति की क्षमता (सेन, 1997) के बीच जटिल पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डालते हैं, साथ ही महिलाओं की भौतिक संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण भी।

अध्याय :3 अनुसंधान क्रियाविधि

"उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए किये गये उपायों का अध्ययन" विषय पर प्रस्तुत अध्ययन अन्वेषणात्मक प्रकृति का है। इस अध्ययन के लिए विभिन्न सरकारी नीतियों, दार्शनिक अवधारणाओं, सिद्धांतों, सर्वेक्षण और विभिन्न अनुभवजन्य आंकड़ों के विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक, दार्शनिक और अनुभवजन्य पद्धतियों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का विश्लेषण करना।
2. भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता का विश्लेषण करना।
3. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना।
4. महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ:

- उपरोक्त अध्ययन के लिए निम्नलिखित परिकल्पना कथन प्रस्तावित हैं।
- सरकारी नीतियां महिला सशक्तिकरण के लिए लाभ प्रदान नहीं करती हैं।

© 2023, SK Publisher All Rights Reserved

- सरकारी नीतियां महिला सशक्तिकरण के लिए लाभ प्रदान करती हैं।
- निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट संस्थान महिला सशक्तिकरण के लिए अधिक प्रयास कर रहे हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के कॉर्पोरेट संस्थान महिला सशक्तिकरण के लिए अधिक प्रयास कर रहे हैं।

अध्याय :4 डेटा विश्लेषण और व्याख्या

सांख्यिकीय विश्लेषण

इस अध्ययन में कई सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग किया गया है ताकि इसे न केवल विश्वसनीय बनाया जा सके बल्कि जनसंख्या के लिए आसानी से सामान्यीकृत भी किया जा सके।**अध्ययन का नमूना वितरण**

नमूना लिंग, आयु, पदनाम और शैक्षिक योग्यता के आधार पर वितरित किया गया है।

1. **लिंग के अनुसार नमूने का वितरण**

		Frequency	Percent
	Female	228	45.6
Gender	Male	272	54.4
	Total	500	100.0

वर्तमान अध्ययन में भाग लेने वाली महिलाओं की कुल संख्या 228 थी, जो हमारी कुल जनसंख्या का %45.6 है, जबकि वर्तमान अध्ययन में भाग लेने वाले पुरुषों की संख्या 272 थी, जो हमारे नमूने की कुल जनसंख्या का %54.4 है।

2. **आयु के अनुसार नमूने का वितरण**

		Frequency	Percent
	LaterAdolescence	150	30.0
Age	EarlyAdulthood	270	54.0
	Middle Adulthood	80	16.0
	Total	500	100.0

नमूने का विभाजन भी आयु श्रेणियों के आधार पर किया जाता है। 18 से 24 वर्ष की आयु के प्रतिभागियों को बाद की किशोरावस्था में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि 25 से 34 वर्ष की आयु के प्रतिभागियों को प्रारंभिक वयस्कता में और अंत में 36 से 60 वर्ष की आयु के प्रतिभागियों को मध्य वयस्कता श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी का विभाजन न्यूमैन और न्यूमैन ने अपनी पुस्तक 'जीवन के माध्यम से विकास' में किया है।

हमारे प्रतिभागियों में से %30 या 150 बाद की किशोरावस्था के आयु वर्ग में थे, जबकि %54 या 270 प्रतिभागी प्रारंभिक वयस्कता के आयु वर्ग में थे और अंत में %16 या 80 प्रतिभागी मध्य वयस्कता के आयु वर्ग में थे। प्रतिभागियों में से लगभग आधे से अधिक प्रारंभिक वयस्कता के आयु वर्ग से संबंधित थे, अर्थात आयु सीमा 25 से 36 वर्ष थी।

© 2023, SK Publisher All Rights Reserved

3. पदनाम के अनुसार नमूने का वितरण

	Frequency	Percent
FEMALELABOR	38	7.6
FEMALEPROFESSIONALS	40	8.0
FEMALESTUDENT	186	37.2
HOUSEWIFE	45	9.0
MALE LABOR	34	6.8
PROFESSIONALS	25	5.0
MALESTUDENT	132	26.4
Total	500	100.0

यहाँ प्रतिभागियों के पदनाम और लिंग के आधार पर नमूने का विभाजन किया गया है। सबसे अधिक प्रतिभागी छात्राएँ हैं जो पूरे नमूने का लगभग 37.2% (500 में से 186) हैं, जबकि पुरुष छात्र 26.4% (500 में से 132) हैं। महिला श्रमिक नमूने का 7.6% हिस्सा हैं जबकि पुरुष श्रमिक 6.8% हैं, यानी कुल 500 नमूने में से क्रमशः 38 और 34। महिला पेशेवर जो 40 हैं, कुल नमूने का 8% हिस्सा बनाती हैं जबकि पुरुष पेशेवर जो केवल 25 हैं, कुल नमूने का केवल 5% हिस्सा बनाते हैं जो पूरे नमूने में सबसे कम है। गृहणियाँ 45 की संख्या में होने के कारण पूरे नमूने का 9% हिस्सा बनाती हैं। 2. प्रतिभागियों की शैक्षिक योग्यता के अनुसार नमूनों का वितरण

	Frequency	Percent
Illiterate	38	7.6
HighSchool	24	4.8
Intermediate	14	2.8
Diploma	4	.8
Graduation	21	4.2
Post-Graduation	111	22.2
AbovePost Graduation	248	49.6
ProfessionalCourse	40	8.0
Total	500	100.0

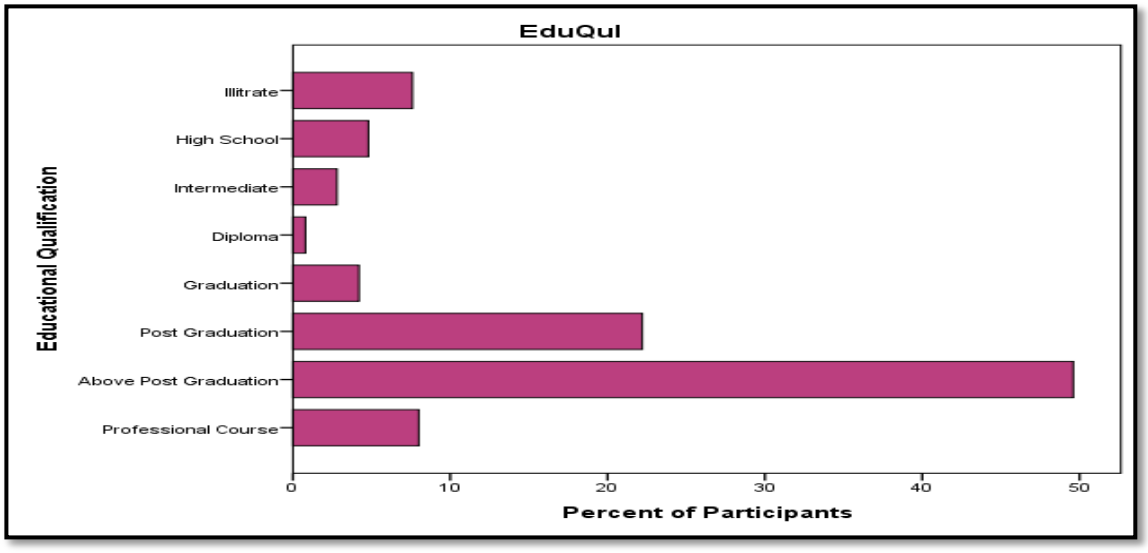

यहाँ नमूनों का विभाजन उनकी शैक्षिक योग्यता और यदि वे अभी भी छात्र हैं तो उन्हें किस कक्षा में प्रवेश दिया गया है, के आधार पर किया जाता है। हमारे पास सबसे अधिक नमूना स्नातकोत्तर से ऊपर के समूह से संबंधित प्रतिभागियों का है, जिसमें लगभग आधे नमूने 49.6% (500 में से 248) हैं। इसके बाद स्नातकोत्तर का समूह आता है, जिसमें नमूने का 22.2% (500 में से 111) है। सबसे कम डिप्लोमा के समूह से हैं, जिसमें केवल 0.8% है, जो 500 नमूनों में से केवल 4 है। निरक्षर

© 2023, SK Publisher All Rights Reserved

7.6% (500 में से 38) नमूने से हैं, जिसमें क्रमशः 4.8% और 2.8% हाईस्कूल उत्तीर्ण और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रतिभागी हैं। स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रतिभागी क्रमशः 4.2% (500 में से 21) और 8% (500 में से 40) हैं।

1. परीक्षण की सामान्यता

यह परीक्षण यह जाँचने के लिए किया जाता है कि एकत्र किया गया डेटा सामान्य रूप से आबादी में वितरित है या नहीं। इसमें 4 स्वतंत्र चर और एक आश्रित या मानदंड चर है। स्वतंत्र चर लिंग, आयु समूह, शैक्षिक योग्यता और विषयों का व्यवसाय हैं जबकि आश्रित चर या मानदंड चर महिला सशक्तिकरण है। सामान्यता की गणना किसी भी पैमाने के z-मान द्वारा की जाती है। नीचे महिला सशक्तिकरण की सामान्यता की जाँच करने वाली तालिका दी गई है।

तालिका:1-महिला सशक्तिकरण पैमाने पर वर्णनात्मक

Descriptive			Statistic	Std.Error
	Mean		*148.28*	*.311*
	95% Confidence IntervalforMean	LowerBound	*147.67*	
		UpperBound	*148.89*	
	5%TrimmedMean		*148.51*	
	Median		*149.00*	
Women Empowerment	Variance		*48.426*	
	Std.Deviation		*6.959*	
	Minimum		*126*	
	Maximum		*162*	
	Range		*36*	
	InterquartileRange		*9*	
	Skewness		*-.595*	*.109*
	Kurtosis		*.678*	*.218*

Calculated Z-Value =Skewness/Std. Error *= -.595/.109 =* ***-5.45*****; Kurtosis/Std.Error** *= -.678/.218=* ***3.11*****)**

तालिका:2-सामान्यता के परीक्षण

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Women Empowerment	*.091*	*500*	***.000***	*.971*	*500*	***.000***

a. महत्व सुधार के लिए लिली

1. तालिका:2-सामान्यता के परीक्षण

तालिका:1 से पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण का माध्य 148.28 है और इसकी मानक त्रुटि .311 है। विषमता का मान -.595 है और मानक त्रुटि .109 है जबकि कर्टोसिस का मान .678 है और मानक त्रुटि .218 है। पैमाने की विषमता का परिकलित z-मान (-5.45) डेटा की सामान्यता की सीमा (-1.96 से +1.96) से बाहर है। लेकिन जब हम तालिका: 2 को देखते हैं, तो यह दर्शाता है कि कोलमोगोरोव-स्मिरनोव और शापिरो-विल्क दोनों के p-मान अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं (p<.001)। इस प्रकार जब पैमाने की विषमता सीमा से बाहर होती है, तब भी यह अत्यधिक महत्व वाला मान पुष्टि करता है कि डेटा लगभग सामान्य रूप से वितरित है।

2. महिला सशक्तिकरण पैमाने का वर्णन

© 2023, SK Publisher All Rights Reserved

तालिका 3-महिला सशक्तिकरण पैमाने का वर्णन

Women Empowerment Scale	Mean	Median	Mode	MinimumScore	Maximum Score
	148.28	*149*	*153*	*126*	*162*

महिला सशक्तिकरण पैमाने पर विषय द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला न्यूनतम स्कोर 126 है जबकि अधिकतम स्कोर 162 है। महिला सशक्तिकरण पैमाने का औसत स्कोर 148.28 है, जिसमें क्रमशः 149 और 153 माध्य और मध्यम हैं।

तालिका:4–महिला सशक्तिकरण की श्रेणियाँ

Women Empowerment	Frequency	Percent
Low	*147*	*29.4*
Medium	*200*	*40.0*
High	*153*	*30.6*
Total	***500***	***100.0***

महिला सशक्तिकरण के कुल स्कोर को 3 अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उच्च महिला सशक्तिकरण, मध्यम महिला सशक्तिकरण और कम महिला सशक्तिकरण। उच्च महिला सशक्तिकरण की सीमा 126 से 145 तक है, जबकि मध्यम महिला सशक्तिकरण की सीमा 146 से 152 तक है। उच्च महिला सशक्तिकरण 153 से 162 तक

महिला सशक्तिकरण और लिंग

यह खंड इस बारे में है कि प्रत्येक लिंग महिला सशक्तिकरण के बारे में कितना जानता है और इसका अभ्यास करता है। यह खंड यह भी पता लगाने की कोशिश करता है कि महिला सशक्तिकरण लिंग पर निर्भर है या नहीं? यानी क्या लिंग का महिला सशक्तिकरण के अंकों पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं? यह दो तरीकों से किया जाता है। पहली विधि में हमने महिला सशक्तिकरण के अंकों को स्केल वैल्यू में लिया और स्वतंत्र नमूना टी-टेस्ट लागू किया ताकि पता लगाया जा सके कि दोनों लिंगों के औसत अंकों में कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं।

महिला सशक्तिकरण और लिंग (स्वतंत्र नमूना-परीक्षण)

इस विधि में महिला सशक्तिकरण के पैमाने के कुल अंकों को वैसे ही लिया जाता है जैसे कि वह पैमाने के मापन में है। स्वतंत्र नमूना टी-टेस्ट का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि दोनों लिंगों - पुरुष और महिला - के माध्य मानदंड चर महिला सशक्तिकरण पर एक दूसरे से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हैं या नहीं।

तालिका: 5-महिला सशक्तिकरण पैमाने के लिए सामान्य सांख्यिकी (स्कोरवार

	Gender	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Scores of women empowerment	Female	*228*	***148.33***	*6.249*	*.414*
	Male	*272*	***148.23***	*7.513*	*.456*

तालिका 5 के अनुसार, यह देखा गया है कि एकत्रित और विश्लेषित 500 नमूना डेटा में 228 महिलाएँ हैं जबकि 272 पुरुष हैं। महिला सशक्तिकरण पर महिलाओं का औसत 148.33 है जबकि महिला सशक्तिकरण पर पुरुषों का औसत 148.23 है। यहाँ तक कि पुरुष और महिला

© 2023, SK Publisher All Rights Reserved

दोनों के औसत को देखकर भी हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच इतना अंतर नहीं है। लेकिन किसी भी अध्ययन को सामान्य बनाने के लिए सांख्यिकीय रूप से अंतर को साबित करना महत्वपूर्ण है, इसलिए स्वतंत्र नमूना टी-परीक्षण का उपयोग किया जाता है।

तालिका:6–महिला सशक्तिकरण और लिंग के लिए स्वतंत्र नमूना-परीक्षण

TotalScoresof Women Empowerment	t-testforEqualityof Means						
	t	df	Sig.(2-tailed)	Mean Difference	Std.Error Difference	95% Confidence Intervalofthe Difference	
						Lower	Upper
lVariances Assumed	*.163*	*498*	*.871*	*.102*	*.625*	*-1.127*	*1.331*
qualVariances Not Assumed	*.165*	*497.97*	*.869*	*.102*	*.615*	*-1.108*	*1.311*

तालिका 6 में, यह देखा गया है कि f(स्वतंत्रता की डिग्री) 498(N-2) है और गणना की गई t-मान .163 है जबकि महत्वपूर्ण t-मान .165 है। जब गणना की गई t-मान महत्वपूर्ण t-मान की तुलना में छोटी होती है, तो इसका मतलब है कि स्वतंत्र चर (पुरुष और महिला) के माध्य के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसके बाद यहाँ यह देखा गया है कि p-मान (Sig.) मान भी .05 महत्व के स्तर से बड़ा है जो फिर से साबित करता है कि महिला सशक्तिकरण के स्कोर पर पुरुषों और महिलाओं के माध्य के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

महिला सशक्तिकरण और लिंग (ची-स्क्वायर टेस्ट)

तालिका: 7 - लिंग और महिला सशक्तिकरण के प्रकारों का क्रॉस-सारणीबद्धकरण

		Typesofwomenempowerment			Total
		Low women empowerment	Medium women empowerment	High women empowerment	
Count		*62*	*103*	*63*	*228*
	ExpectedCount	*67*	*91.2*	*69.8*	*228*
Male	Count	*85*	*97*	*90*	*272*
	Expected Count	*80*	*108.8*	*83.2*	*272*
Total	Count	*147*	*200*	*153*	*500*
	Expected Count	*147*	*200*	*153*	*500*

तालिका: 7 में, महिला सशक्तिकरण की श्रेणियों के साथ प्रत्येक लिंग के लिए दो प्रकार के मूल्य हैं - गणना या गणना और अपेक्षित। अपेक्षित मूल्य वे मूल्य हैं जो आदर्श मूल्य हैं जो प्रत्येक श्रेणी में समान होने चाहिए यानी कोई अंतर नहीं; जबकि गणना किए गए मूल्य विश्लेषण किए गए डेटा के अनुसार हैं। अधिकतम महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के बारे में मध्यम स्तर का ज्ञान है और वे इसका अभ्यास भी कर सकती हैं (गणना की गई संख्या अपेक्षित संख्या से अधिक है) जबकि पुरुषों के मामले में ऐसा नहीं है।

तालिका: 8- लिंग और महिला सशक्तिकरण के लिए ची-स्क्वायर तालिका

	Value	Df	Asymp.Sig.(2-sided)
PearsonChi-Square	*4.708*[a]	*2*	*.095*
LikelihoodRatio	*4.706*	*2*	*.095*
Nof Valid Cases	*500*		

a. 0 कोशिकाओं (0.0%) में 5 से कम अपेक्षित गिनती है। न्यूनतम अपेक्षित गिनती 67.03 है।

© 2023, SK Publisher All Rights Reserved

तालिका: 8 में, गणना की गई p-मान .095 है जो .05 से अधिक है, जिसका अर्थ है कि गणना की गई गिनती और अपेक्षित गिनती के बीच जो भी अंतर देखा जा सकता है, वह सामान्यीकृत होने के लिए सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है।

ये दोनों सांख्यिकीय परीक्षण (स्वतंत्र नमूना टी-परीक्षण और ची-स्क्वायर परीक्षण) साबित करते हैं कि लिंग और महिला सशक्तिकरण के बीच कोई जुड़ाव या संबंध नहीं है। यह हमें हमारे शोध प्रश्नों का उत्तर देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का लिंग हमारे समाज में उनके दैनिक जीवन में महिला सशक्तिकरण के ज्ञान और अभ्यास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है।

अध्याय-6:उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण

उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, साथ ही 200 मिलियन लोगों की आबादी के साथ दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला उप-राष्ट्रीय इकाई है। 1 अप्रैल 1937 को इसे संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था और 1950 में स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

अध्याय 6सिफ़ारिशें और सुझाव :

सुझाव

किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति मुख्य रूप से घरेलू, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में उनके मान्यता प्राप्त अधिकारों, कर्तव्यों, स्वतंत्रता और अवसरों पर निर्भर करती है) जे .कूपर(। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण पहलों को बेहतर बनाने के लिए, भविष्य के अध्ययनों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

• महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए एकीकृत जागरूकता पहलों को लागू किया जाना चाहिए, जिसमें कमज़ोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

• महिलाओं की शिक्षा को एक बुनियादी कदम के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सुलभता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाएगी और उनके अधिकारों और आत्मनिर्भरता के लिए एक आधार तैयार करेगी।

• निम्नलिखित सुझाव उन प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करते हैं, जहाँ सरकारी हस्तक्षेप महिला उद्यमियों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बना सकते

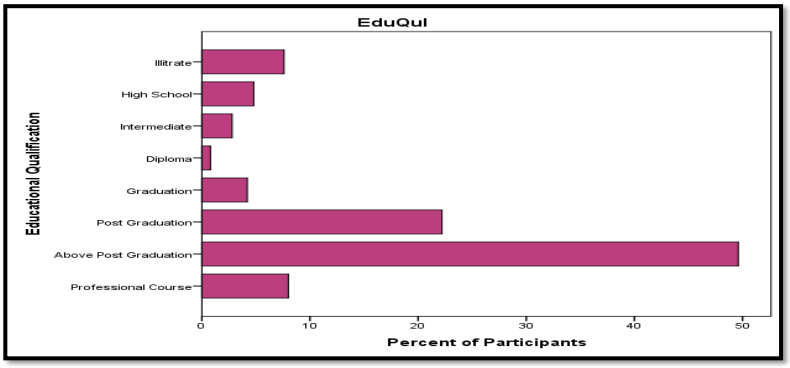

हैं, जिससे उन्हें बाधाओं को दूर करने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद मिल सकती है।

क्षमता निर्माण और कौशल विकास

महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के उपायों को बढ़ावा देना और बढ़ाना। ये मूल्य हैं जैसे प्रबंधन, लेखांकन, सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करना और व्यवसाय कौशल में सुधार के लिए आगे का नेतृत्व करना।

कानूनी और विनियामक बाधाओं को संबोधित करना

नौकरशाही आवश्यकताओं और/या उपायों को कम करना और व्यवसाय पंजीकरण, लाइसेंसिंग और अनुपालन से संबंधित स्पष्ट और त्वरित प्रक्रियाओं की गारंटी देना। महिला उद्यमियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण चलाने के लिए कानूनी संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

निष्कर्ष और अनुशंसा

महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक परिवार, समाज, राष्ट्र और एक स्थायी दुनिया के समग्र विकास के लिए इष्टतम क्षमता के लिए एक शर्त है। इस शोधपत्र में हाल के वर्षों में भारतीय संविधान से लेकर विकास तक के बहुत बड़े दायरे में सरकार, गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से शुरू किए गए सकारात्मक कानून, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में बताया गया है।

1. सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

सशक्तिकरण की प्रमुख परिभाषित शर्तें असमानता और उत्पीड़न के लिए चुनौतियां, विकल्पों और चुनावों का प्रयोग, भागीदारी, जीवन पर नियंत्रण आदि हैं, (बटलीवाला, 1994; रोलैंड्स, 1996; सेन जी., 1997; ऑक्साल और बदन, 1997; कबीर, 1999; लिंडबर्ग, अथरेया, विद्यासागर, जुरफेकदत और राजगोपाल, 2011)। **सुझावः**

कुछ संस्तुतियाँ इस प्रकार हैं

1. लिंगानुपात में गिरावट की भयावह प्रवृत्ति को रोकने के लिए पीसी-पीएनडीटी अधिनियम 1994 और एमपीटी 1971 को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। बालिकाओं के महत्व के लिए समुदायों और हितधारकों को शामिल करके मानसिकता और सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता के माध्यम से वकालत भी आवश्यक है।

2. यूपी सरकार को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए और इस अधिनियम को लागू करने के लिए अलग से धन आवंटित करना चाहिए।

3. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यूपी राज्य महिला नीति 2006 और राष्ट्रीय महिला नीति 2016 के अनुरूप महिलाओं को भूमि अधिकार सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को भूमि वितरण, महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क छूट आदि जैसे उचित नीतिगत उपाय किए जाने चाहिए।

© 2023, SK Publisher All Rights Reserved

4. किशोरों को उत्पादक वयस्क बनने की उनकी क्षमता को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का सख्ती से क्रियान्वयन जरूरी है।

6.4. उत्तर प्रदेश में महिलाएं और राजनीतिक विकास

किसी भी लोकतंत्र की संस्थागत संरचनाओं को मजबूत करने में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी के लिए लैंगिक समानता एक शर्त है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति वास्तव में विडंबनापूर्ण है। इस तथ्य के बावजूद कि भारत सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली है, जहां सभी को अपने हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

अध्याय 7 :निष्कर्ष

21 वीं सदी महिलाओं की सदी है। यही परिवर्तन की आहट है कि महिलाएं सफलता के शिखर पर आरुढ़ हो रही हैं। कामयाबी के साथ उन की सामाजिक व आर्थिक तस्वीर लगतार बदल रही है समाज के सभी पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्रों में महिलाओं ने शानदार प्रवेश किया है। वर्तमान स्थिति में नारी ने जो साहस का परिचय दिया है वह आश्चर्यजनक है।

उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमियों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।

उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमी एक बड़ा प्रभाव डाल रही हैं, वहाँ आधे से अधिक स्टार्टअप की मालिक हैं। क्षेत्र के लिए DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त 12,743 स्टार्टअप में से 6,484 का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि वे विभिन्न उद्योगों में कितना योगदान दे रही हैं।

उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमियों के लिए सरकारी पहलों का अध्ययन करना।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए पहल शुरू की है। एक प्रमुख कार्यक्रम 2014 में शुरू की गई महिला उद्यमिता योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को औद्योगिकीकरण प्रक्रिया में शामिल होने में मदद करके उन्हें सशक्त बनाना है। यह योजना विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाकर छोटे पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प इकाइयों की सहायता करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. उपाध्याय जय जय राम **(2003)**ः भारत का संविधान, सेन्ट्रल लाॅ एजेनसी, इलाहाबाद
2. डी.डी बसू **(2002)**ः भारत का संविधान, वाधवा प्रकाषन, नई दिल्ली
3. दैनिक भास्कर नागपुर संस्करण **18** जून **2011**
4. शर्मा कृष्ण कुमार **(2012)**ः भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिषिंग हाउस, दिल्ली, पृ. **45**
5. टाईम्स आॅफ इंडिया **20** अगस्त **2009** एवं लोकमत मराठी नागपुर संस्करण **19** अगस्त **2009.**
6. शर्मा कृष्ण कुमार **(2012)**ः महिला कानून एवं मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिषिंग हाउस, दिल्ली, पृ. **26**
7. टंडन राजेष व पाण्डेय आलोक **(2008)**ः पंचायती राज संस्थाओं की मानव विकासोन्मुख और जेण्डर आधारित बजट की भूमिका, प्रिया संसाध केन्द्र रायपुर,
8. महिला आरक्षण के संदर्भ में पुरूषों की मानसिकता का एक अध्ययन प्रकृति नागपुर, रिपोर्ट **2009**
9. भारत, जन सांिख्यकी और कायक्रम कार्यान्वयन मत्रंालय, कन्ेद्रीय सांिख्यकी सगंठन **;2002**द्ध**ए** भारत में महिलएं और पुरुष **2001,** नई दिल्ली,
10. समाज कल्याण**:** मार्च **2011,**

11. लोक प्रषासन: भारतीय लोक प्रषासन संस्थान नई दिल्ली द्वारा प्रकाषित छमाही पत्रिका, जनवरी-जून **2012**
12. भारत की महिलाओं से संबंधित सांख्यकी **2010**, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान **5**, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज़ खास, नई दिल्ली
13. वर्षिक रिपोर्ट: महिला व बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार **2010-2011**
14. मोघदाम, वैलेंटाइन एम, (1990), वाइडर रिसर्च फॉर एक्शन-जेंडर, डेवलपमेंट एंड पॉलिसी: टुवर्ड्स इक्विटी एंड एम्पावरमेंट, वर्ल्ड टी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी।
15. सहाय, सुषमा, (1998), महिला और सशक्तिकरण: दृष्टिकोण और रणनीतियाँ, डिस्कवरी पब। हाउस, नई दिल्ली, पी. 123
16. सहाय, सुषमा, (1998), महिला और सशक्तिकरण: दृष्टिकोण और रणनीतियाँ, डिस्कवरी पब। हाउस, नई दिल्ली, पी. 124
17. मल्होत्रा, अंजू, सिडनी रूथ शुलर, कैरल बोएन्डर, (2002), 'अंतर्राष्ट्रीय विकास में एक चर के रूप में महिला सशक्तिकरण को मापना' विश्व बैंक के लिए तैयार अप्रकाशित पेपर
18. कबीर, नैला, (1999), 'संसाधन। एजेंसी, उपलब्धि: महिला सशक्तिकरण के मापन पर विचार', विकास और परिवर्तन, 30(3):435-64
19. चंपा, लिमाया, (1999), 'वीमेन पावर एंड प्रोग्रेस', बी-पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली।
20. कोथाई, एल., (1995) 'महिला और सशक्तिकरण', ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

© 2023, SK Publisher All Rights Reserved